THE MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF PLANNING AND PROGRAMME IMPLEMENTATION (SHRIMATI RATNAMALA DEHARESHWAR SAVNOOR): (a) to (c) No new schemes/policies has been formulated to generate more employment opportunities for the educated youth in the country.

(d) No, Sir.

(e) All the State Employment Exchange are not fully computerised, Under a centrally sponsored scheme on computerisation of employment exchange, 117 employment exchanges are computerised in various States.

राष्ट्रीय रोजगार गारन्टी योजना

1813. **श्री नागमणि:**
श्री ईश दत्त यादव:

क्या **प्रधान मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार ने राष्ट्रीय रोजगार गारन्टी योजना को लागू कर दिया है;

(ख) यदि हां, तो इस योजना की मुख्य-मुख्य बातें क्या हैं;

(ग) क्या इस योजना को इसलिए लागू किया गया है क्योंकि विगत में बेरोजगारी उन्मूलन की अन्य योजनाएं विफल रही हैं; और

(घ) यदि हां, तो इस संबंध में सरकार की क्या प्रतिक्रिया है?

योजना और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमती रत्नमाला देहरेश्वर सवनूर): (क) से (घ) केन्द्र सरकार देश में कोई राष्ट्रीय रोजगार गारंटी स्कीम कार्यान्वित नहीं कर रही है। यद्यपि देश के सभी ग्रामीण ब्लाकों में रोजगार आश्वासन स्कीम कार्यान्वित की जा रही है। इस स्कीम के अंतर्गत अकुशल हाथ के कार्य का 100 दिनों का रोजगार उन्हें मुहैया कराया जाता है जिन्हें रोजगार की आवश्यकता और क्षीण कृषि मौसम के दौरान इसकी मांग करते हैं। 18 वर्ष से अधिक और 60 वर्ष के कम आयु के व्यक्तियों, जिन्हें रोजगार की आवश्यकता है और जो स्कीम के अंतर्गत रोजगार की मांग करते हैं, को ग्राम पंचायतों में जहां वह रह रहे हैं, अपने नाम दर्ज कराने चाहिए। रोजगार का सृजन सार्वजनकि कार्यों पर किया जाना है जो ग्रामीण आधार संरचना और सामुदायिक परिसम्पत्तियों का मार्ग प्रशस्त करता है। जल और मृदा संरक्षण सहित जल संभर के विकास, वनरोपण, सिल्लीपास्वर आदि, लघु सिंचाई कार्य, ग्रामीण सड़कों, प्राथमिक स्कूल भवनों का निर्माण और आंगनवाड़ी इस स्कीम के अंतर्गत अनुगेय कार्य हैं। रोजगार आश्वासन स्कीम आवश्यकता आधारित है और इसलिए राज्यवार कोई आवंटन नहीं किए जाते। राज्य ग्रामीण क्षेत्रों में क्षीण कृषि मौसम के दौरान हाथ के कार्य के लिए मांग के समरूप निधियों की मांग कर सकते हैं। रोजगार आश्वासर्त्र स्कीम के अंतर्गत व्यय का केन्द्र और राज्यों में व्यय का हिस्सा 80:20 आधार पर है।

पंचवर्षीय योजनाओं के अंतर्गत गुजरात को दी जाने वाली वित्तीय सहायता

1814. **श्री अनन्तराय देवशंकर दवे: क्या प्रधान मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या प्रथम पंचवर्षीय योजना से अब तक की पंचवर्षीय योजना तक गुजरात को उसके सीमावर्ती और रेगिस्तानी जिलों कच्छ और बनासकांठा को विकसित करने और रोजगार के अवसर उपलब्ध कराने के लिये कम वित्तीय सहायता आबंटित की गयी है;

(ख) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं;

(ग) क्या लगातार सूखा और औद्योगिक विकास की गति कम होने के कारण स्थानीय लोगों के लिये जीवन-यापन तथा रोजगार के अवसर उपलब्ध कराने में पिछले पांच दशकों में सफलता प्राप्त नहीं हुई है;

(घ) क्या सरकार ने इस संबंध में कोई मूल्यांकन कराया है;

(ड) स्थानीय स्तर पर औद्योगिक विकास को बढ़ावा देने हेतु किए गए प्रयासों का ब्यौरा क्या है; और

(च) यदि कोई प्रयास नहीं किए गए, तो इसके क्या कारण हैं?

योजना और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमती रत्नमाला देहरेश्वर सवनूर): (क) से (घ) जी नहीं, किसी क्षेत्र की आयोजना तथा विकास तथा इस प्रयोजनार्थ निधियों का आवंटन संबंधित राज्य सरकार का उत्तरदायित्व है बहरहाल;, केन्द्र सरकार 1991 में राष्ट्रीय विकास परिषद द्वारा अनुमोदित संशोधित गाडगिल फार्मूला में पिछड़ेपन के लिए अधिभार के साथ ऐसा धन अन्तर के जरिये इस संबंध में गुजरात सहित राज्य सरकार के प्रयासों को सहायता दे रही है। इसके